

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

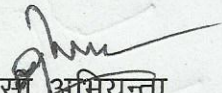
परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश



अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

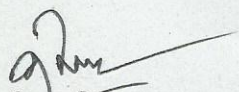
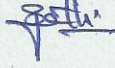
विस्फोटक का प्रयोग न किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

सड़क निर्माण के लिये विस्फोटकों का उपयोग नहीं किया जाना है, क्योंकि संरेखण के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुए बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाना है। इस संरेखण पर चट्टानें नहीं हैं, इसलिये सड़क निर्माण के लिये विस्फोटकों का उपयोग नहीं किया जाना है।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश


अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश 

मार्ग के प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु का प्रमाण पत्र

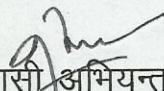
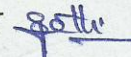
परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दुओं के नाम :-

1. प्रारम्भिक बिन्दु - सौड़ा द्वारा
2. अन्तिम बिन्दु - चमेली चौक


 सहायक अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
 ऋषिकेश


 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
 ऋषिकेश 

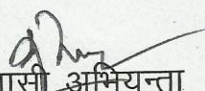
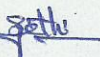
प्रस्ताव चौक लिस्ट के अनुसार बनाये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है, कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चौक लिस्ट के अनुसार तैयार किये गये हैं।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश 

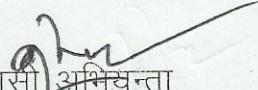
प्रमाण पत्र

कार्य का नाम:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों के ऐवज में 10 गुने वृक्षारोपण की धनराशि जो वन विभाग द्वारा मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
त्र्यपिकेश



अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
त्र्यपिकेश